हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
(हिमाचल प्रदेश सरकार का एक उपक्रम)
पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक नम्बर 16-17 एस.डी.ए.कर्मशियल कम्पलैक्स,
कसुम्पटी, शिमला-171009

(अल्पकालीन निविदा सूचना)

हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अर्न्तगत स्पलिट मूंग दाल छिल्का, काला चना साबुत, तथा सोया रिफाईन्ड आयल एक लीटर पैक की आपूर्ति हेतू प्रथम चौमाही वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 26-02-2010 को अल्पकालीन निविदॉए आमंत्रित की जाती हैं 1 विस्तृत निविदा सूचना तथा सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज शिमला स्थित निगम के पंजीकृत कार्यालय से निविदा की प्रकाशन की तिथि से किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 A.M. से सायः 5 P.M. तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा वैव साईट : www. himapurti. com. से सीधे डाउनलोड किये जा सकते हैं1 भरे हुए निविदा दस्तावेज प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 26-02-2010 पूर्वाहन 11 बजे तक हैं तथा निविदॉए उसी दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शिमला के कार्यालय में 11.30 बजे पूर्वाहन उन निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी, जो उस समय उपस्थित रहना चाहते हैं 1 प्रबन्ध निदेशक हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला-171009 के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी अन्यथा सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित हैं 1

प्रबन्ध निदेशक

निरन्तर पेज -2

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
प्रधान कार्यालयः एस.डी.ए.कर्मशियल कम्पलैक्स, ब्लॉक नम्बर 16-17,
कसुम्पटी, शिमला-171009

राज्य स्तरीय पौषाहार क्रय समिति की ओर से विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित खाद्य वस्तुओ की आपूर्ति हेतू मोहरबन्द निविदाऐं आमन्त्रित की जाती हैं :-

1.	काला चना (साबुत)	17,000 क्विंटल
2.	मूंगदाल छिलका	2,000 क्विंटल
3.	सोया रिफाईन्ड आयल 1 लीटर पाउच पैक	3,50,000 लीटर

उक्त मात्रा पूर्णतः अनुमानित है और इसे निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा घटाया/बढाया जा सकता है 1

पूर्ण विवरण, धरोहर राशि एवं पैकिंग आदि की शर्तो सहित निविदा प्रपत्र निगम के प्रधान कार्यालय से 500/-रूपये प्रति प्रपत्र (डाक द्वारा भेजने के लिये 550/-रूपये प्रति प्रपत्र) के नगद भुगतान पर इस निविदा के प्रकाशन की तिथि से सुबह 10 A.M से सायः 5 P.M तक किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है 1 डाक द्वारा भेजने के कारण निविदा प्रपत्र देरी से प्राप्त होने पर निगम उत्तरदाई नहीं होगा 1 The complete Tender Form can also be down loaded direct from our website www.himapurti.com. and cost thereof be deposited at the time of submitting tenders at our Head Office.

निविदायें 26-02-2010 को 11.00 बजे पूर्वाहन तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हि0प्र0 कसुम्पट्टी, शिमला-171009 में प्राप्त की जाएगी तथा उसी दिन 11.30 बजे पूर्वाहन उन निविदा-दाताओं की उपस्थिति मे, जो उपस्थित होना चाहेगें खोली जायेंगी 1 यदि उक्त तिथि को अवकाश घोषित हो जाये तो अगले कार्य दिवस को निविदायें उपरोक्त समय-सारणी के अनुसार ही प्राप्त करके खोली जायेंगी 1 प्रबन्ध निदेशक हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला-171009 किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं 1

प्रबन्ध निदेशक

TECHNICAL BID

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित,
प्रधान कार्यालयः एस.डी.ए.कर्मशियल कम्पलैक्स, ब्लॉक नम्बर 16-17
कसुम्पटी, शिमला-171009

मूल्य 500 रूपये
डाक द्वारा 550 रूपये
फार्म नं0..................

पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निविदा हेतू शर्ते एवं निविदा फार्म।

पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित खाद्याान्नों की आपूर्ति हेतू मोहरबन्द निविदॉए आमंत्रित की जाती हैं:-

1.	काला चना (साबुत)	17,000 क्विंटल
2.	मूंगदाल छिलका	2,000 क्विंटल
3.	सोया रिफाईन्ड आयल 1 लीटर पाउच पैक	3,50,000 लीटर

उक्त दर्शाई गई वस्तुओं की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है और यह मात्रा वास्तविक मांग के अनुसार घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है । यह निविदायें निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कुसुम्पटी, शिमला-171009 में दिनॉक 26-02-2010 को 11.00 बजे पूर्वाहन तक पहुॅचनी अनिवार्य है जिसके बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी । प्रस्तावित निविदाएं उसी दिन प्रातः 11.30 बजे उन निविदा-दाताओं के सामने खोली जाएंगीं, जो उपस्थित होना चाहेगें निविदाएं दो प्रकार के लिफाफों में होनी चाहिए । एक लिफाफे में Technical bids होनी चाहिए, जिसके भीतर वांछित दस्तावेजों की प्रतियां तथा धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट होने चाहिए इस bid के अन्तर्गत वस्तुओं के नमूने अलग से प्राप्त किए जायेंगे ।

जिन निविदा-दाताओं की Technical bids सही पायी जाएंगी केवल उन्हीं की Financial bids खोली जाएंगी ।

हर खाद्यान्न के लिए Financial bids अलग लिफाफे में होनी चाहिए, जो संलग्न फार्म पर ही स्वीकार की जाएगीं जोकि निविदक द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा नियुक्त/अधिकृत किसी सक्षम-अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हों । Technical bids और Financial bids के सील बन्द दस्तावेज अलग-अलग लिफाफों में बन्द होने चाहिए ।

निगम के Website : www. himapurti.com. से प्राप्त किए गए निविदा प्रपत्र को तभी वैध माना जाएगा जब निविदक इस निविदा प्रपत्र की कीमत 500/- रूपये बैक ड्राफट के रूप में निविदा के साथ संलग्न करेगा या 500/-रूपये नगद निविदायें बंद होने से पहले निगम के मुख्यालय में जमा करवा देगा ।

अन्य नियम एवं शर्ते:

1. इन निविदाओं से सम्बन्धित सारा कार्य जैसे कि आपूर्ति-आदेश जारी करना, अनुमोदित नमूनों के अनुसार आपूर्ति प्राप्त करना तथा आपूर्ति की गई वस्तुओं की कीमत का भुगतान करना इत्यादि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित, शिमला-171009 द्वारा किया जाएगा ।
2. मूंगदाल छिल्का की आपूर्ति 10 किलोग्राम (शुद्ध वजन) तथा साबुत काला चना की आपूर्ति 25 किलोग्राम (शुद्ध वजन) में पोलीथीन लाईनिंग लगे जूट/एच.डी.पी.ई. के नये थैलों में तथा सोया रिफाईन्ड ऑयल की आपूर्ति एक लीटर के पाउ्च पैक में प्राप्त की जाएगी 1 उक्त सभी आपूर्तियों पर "आई सी.डी.एस. हिमाचल नॉट फोर सेल" उत्कीर्ण करना आवश्यक होगा व उक्त सभी आपूर्तियों पर ''वैधानिक चेतावनी- ऑगनबाडियों से अन्यत्र इसका उपयोग गैर कानूनी हैं'' उत्कीर्ण करना आवश्यक होगा 1
3. प्रत्येक वस्तु की दरें प्रति क्विंटल/ लीटर शुद्ध वजन (नेट-वेट) सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के संलग्न सूची में दर्शाए गए जिला मुख्यालय गोदामों तक के भाडे सहित लिखी जानी चाहिए ।

प्रत्येक वस्तु की आपूर्ति-दरों में हिमाचल प्रदेश का बिक्री कर (VAT), प्रचलित मारकीट फीस 1% की लागत तथा अन्य सभी कर जो प्रचलित हैं अथवा लगाए जाते हैं सभी शामिल होने चाहिए ।

4. उक्त वस्तुओं जैसे मूंगदाल छिल्का व साबुत काला चना के कम से कम 500 ग्राम तथा सोया रिफाईण्ड आयल का एक-एक पैक की पैगिंक में मोहरबन्द नमूने निविदा के साथ निविदक के पहचान चिन्ह सहित उपलब्ध करवाने होंगें । जो निविदक निविदा में सफल पाया जाएगा, उसे उसी समय मास्टर सैम्पल के साथ मिलान करके 100-100 ग्राम के 110-110 नमूने उपलब्ध करवाने होंगे । यदि कोई सफल निविदक नमूने उपलब्ध करवाने में असफल रहता है या नमूने मास्टर सैम्पल के अनुसार नहीं पाए गए तो उस की निविदा को उसी समय रदद् कर दिया जाएगा 1 प्रत्येक निविदक एक वस्तु के लिए केवल एक नमूना एवं भाव/दर प्रस्तुत करेगा 1 यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि साबुत चना काला, मूॅंगदाल छिल्का व रिफाईन्ड सोया तेल के नमूनों की गुणवता PFA Act/ Rule के अनुरूप होनी चाहिए तथा निविदादाता को PFA Act/ Rule के अर्न्तगत प्रमाण-पत्र निर्धारित Govt. or Govt. Authorized लेबोरेट्री की टैस्ट रिपोर्ट भी संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

5. प्रत्येक निविदा-दाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे साबुत चना काला तथा मूॅंगदाल छिल्का के जो नमूने लाए गए हैं वे नमूने निदेशक, सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में अवलोकन हेतू उपलब्ध नमूने के समकक्ष या उनसे अच्छी गुणवता के होने चाहिए । इसलिए प्रत्येक निविदक निविदा फार्म खरीद करते समय इन नमूनो का अवलोकन निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग शिमला-9 में निविदा खुलने से पूर्व किसी भी कार्य दिवस मे कर सकता हैं 1 जो नमूने प्रथम दृष्टया अवलोकन हेतू रखे गए नमूनों की अपेक्षा कम गुणवता/ निम्न स्तर के होगें उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा 1

6. प्रत्येक निविदा के साथ वस्तु-बार निम्नलिखित धरोहर राशि के बैंक ड्राफट/बैंकर चैक (लोकल पार्टियों के लिए) के साथ प्राप्त की जाएगी जो कि Technical Bid के लिफाफे में डाले जाने चाहिए:-

1	काला चना साबुत	20,00,000/- रूपये
2	मूंगदाल छिलका	5,00,000/- रूपये
3	सोया रिफाईड आयल 1 लीटर	12,00,000/- रूपये

बैंक ड्राफ्ट हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के पक्ष में बना हो जो शिमला के किसी अधिसूचित बैंक में देय होना चाहिए । धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के पास रहेगें लेकिन हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्टों की सूची बनाकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को देगा, जिसका निपटारा आपूर्ति पूरी होने के बाद निगम द्वारा भुगतान किया जाएगा । सफल निविदाताओं की धरोहर राशि स्वयंमेव प्रतिभूति राशि में परिवर्तित मानी जाएगी । निगम इस प्रतिभूति राशि को तब तक अपने पास रखेगा जब तक आपूर्ति निर्धारित शर्तो के अनुसार पूरी नहीं हो जाती तथा इस राशि पर पार्टी को कोई व्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

7. यदि आपूर्तिकर्ता निर्धारित समयावधि के भीतर आपूर्ति करने में असमर्थ रहता हैं तो उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी और आपूर्तिकर्ता को अगली दो निविदाओं के लिए Debar कर दिया जाएगा तथा उस वस्तु की खरीद आपूर्तिकर्ता के जोखिम और कीमत (Risk and cost) पर की जाएगी । ऐसी स्थिति में खरीद हेतु विभाग अपने स्तरपर निगम के माध्यम से Nafed आदि से कय करने हेतु आदेश करेगा । इस प्रकार की खरीद करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला-9 को जो हानि होगी उसकी वसूली सम्बन्धित असफल आपूर्तिकर्ता से की जाएगी ।

8. निविदा को अन्तिम रूप देने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वीकृत दरों के आधार पर अपनी वास्तविक मांग नागरिक आपूर्ति निगम को तुरन्त उपलब्ध करवायेगा । विभाग से मांग प्राप्त होने के उपरान्त तीन दिन के भीतर निगम सफल निविदा-दाता को आपूर्ति-आदेश जारी कर देगा । आपूर्ति-आदेश की तिथि से 21 दिनों के अन्दर आपूर्तिकर्ता को अनुमोदित नमूनों के अनुरूप सारी आपूर्ति पूरी करनी होगी । यदि आपूर्तिकर्ता उक्त अवधि में आपूर्ति पूरी नहीं करता है तब निगम को आपूर्तिकर्ता की प्रतिभूति राशि को जब्त करने तथा आपूर्ति देरी से करने पर वस्तु की राशि का प्रथम सप्ताह में 1%, दूसरे सप्ताह में अतिरिक्त 2% व तीसरे सप्ताह में अतिरिक्त 2%, की दर से अधिकतम 5% दण्ड लगाने का अधिकार होगा । तीन सप्ताह तक की देरी के बाद भी आपूर्ति न करने की स्थिति में (यदि delay बारे विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त न की गई हो तो) आपूर्ति-आदेश स्वत: (automatically) रदद् समझा जाएगा । प्रतिभूति राशि जमा करवाने की शर्त सरकारी उपकमों/सहकारी संस्थानों पर भी लागू होगी ।

9. आपूर्तिकर्ता को वस्तु की आपूर्ति का भुगतान निगम के गोदामों पर आपूर्ति की गई वस्तु का निगम एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण करने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर मूल बिलों को सार्वजनिक वितरण लिपिक द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त निगम के मुख्यालय से किया जाएगा । यदि किसी स्थान (आगनवाड़ी केन्द्र तक)पर आपूर्ति की गई वस्तु की गुणवता अनुमोदित नमूने से भिन्नता पाई जाती है तब ऐसी स्थिति मे आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति अपने खर्चे पर बदलनी होगी तथा निगम को आपूर्तिकर्ता के इस कोताही के लिए उन पर यथोचित हर्जाना लगाने का भी अधिकार होगा ।

10. Tenderers will ensure that the samples/supplies of the Pulses/Soya Refined Oil/Cerals/Oil seeds are according to the requirement laid down under PFA Act/Rules in relation to foreign matter, insect damage, moisture, other edible grains, damaged grains and other parameters. They may note that they will be responsible for any legal consequences which might arise later due to failure of samples of food items supplied by them. The standards required in PFA Act/Rules is given as per Annexure A,B & C

11. उक्त खाद्य पदार्थो की गुणवता Prevention of Food Adulteration Act./ Rules इत्यादि के अर्न्तगत किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए उत्पादनकर्ता/ आपूर्तिकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगें तथा हि0प्र0 सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा हि0 प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का ऐसे उल्लंघन व उसके फलस्वरूप होने वाली किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए कोई भी उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

12. राज्य स्तरीय पोषाहार कय समिति, पोषाहार कार्यकम, हिमाचल प्रदेश किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रदद् करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है । कय समिति एक से अधिक आपूर्तिकर्ता का चयन करने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है ।

13. व्यक्ति विशेष/फर्म/संस्था को जारी निविदा प्रपत्र किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं होगा । निविदा-दाता (व्यक्ति विशेष के अतिरिक्त) को सम्बन्धित संस्था या फर्म से निविदा हस्ताक्षर करने का प्राधिकृत पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा ।

14. जिन निविदा-दाताओं की निविदाऐं उपरोक्त शर्तो के अनुसार नहीं पाई जाएगीं, उनकी निविदाऐं अस्वीकृत कर दी जाएगी ।

15. उपरोक्त निविदाओं/आपूर्ति में कोई विवाद होने की स्थिति में प्रधान सचिव (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले), हिमाचल प्रदेश सरकार (Arbitrator) होंगें तथा इस मामलें में उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

16. उपरोक्त निविदायें/आपूर्ति केवल शिमला राजस्व जिला के न्यायिक अधिक्षेत्र के अन्तर्गत ही मानी जाएगी ।

17. All Codal formalities according to the H.P.F.R. Vol. II Schedule–10 will be applicable.

<u>List of Godowns,</u>

1. Bhattakuffer
2. Solan
3. Nahan
4. Bilaspur
5. Una
6. Hamirpur
7. Mandi
8. Kullu
9. Nagrota Bagwan
10. Chamba
11. Tapri

Check List of Technical Bid Envelope

1. Bank draft of earnest money (Para-6)
2. Samples of the tendered item. (Collected separately). (Para-4 तथा 5)
3. Authorisation letter to sign the tender document (Para-13)
4. Test Reports/Certificate of the sample (Para 4 &10)
5. Undertaking from bidder that he has not been blacklisted by any Government/ Semi Government Agency.
6. Sale tax/ Vat Registration number .

Annexure-'A'

A.18.06.10----SPLIT PULSE (DAL) MOONG Chhilka.

Dal Moong, shall consist of split seeds of green grams (Phaseolus aureus Roxb, Phaseolus radiates Roxb).
It shall be sound, clean, sweet, wholesome and free from unwholesome substances.
It shall also conform to the following standards, namely :-

(i) Moisture – Not more than 14 per cent by weight (obtained by heating the pulverized grains at 130 degree C—133 degree C for two hours).

(ii) Foreign matter (Extraneous matter) Not more than 1 per cent by weight of which not more than 0.25 per cent by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent by weight shall be impurities of animal origin.

(iii) Other edible grains --- Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Damaged grains---- Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains ---Not more than 3 per cent by count.

(vi) Uric acid —Not more than 100 mg per Kg.

(vii) Aflatoxin ---Not more than 30 micrograms per Kilogram.

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 8 per cent by weight.

Annexure-'B'

A.18.06.08----CHANA WHOLE

Channa whole shall be the dried grains of gram (Cicer arietinum Linn). It shall be sound, clean, sweet, wholesome and free from unwholesome substances. It shall also conform to the following standards, namely :-

(i) Moisture – Not more than 16 per cent by weight (obtained by heating the pulverised grains at 130 degree C—133 degree C for two hours).

(ii) Foreign matter (Extraneous matter) Not more than 1 per cent by weight of which not more than 0.25 per cent by weight shall be mineral matter and not more than 0.10 per cent by weight shall be impurities of animal origin.

(iii) Other edible grains --- Not more than 4 per cent by weight.

(iv) Damaged grains---- Not more than 5 per cent by weight.

(v) Weevilled grains ---Not more than 10 per cent by count.

(vi) Uric acid—Not more than 100 mg per Kg.

(vii) Aflatoxin---Not more than 30 micrograms per Kilogram.

Provided that the total of foreign matter, other edible grains and damaged grains shall not exceed 9 per cent by weight.

Annexure-'C'

A.17.13---- SOYABEAN OIL -- means the expresse d from clean and sound soyabeans (Soja max) from which the major portion of the gums naturally present have been removed by hydration and mechanical or physical separation. It shall be clear, free from rancidity, suspended or other foreign matter, separated water, added colouring or flavouring substances or mineral oil.

It shall conform to the following standards :

(a) Butyro-refractometer reading at 40 degree C.	58.5 to 68.0
Or Refractive Index at 40 degree C.	1.4649- 1.4710
(b) Saponification value	189 to 195
(c) Iodine Value	120 to 141
(d) Unsaponifiable matter	Not more than 1.5 per cent.
(d) Acid Value	Not more than 2.5
(e) Phosphorus	Not more than 0.02 percent.

Test for argemone oil shall be negative.

SPECIMEN OF LABORATORY TEST CERTIFICATE IN RESPECT OF REFINED OIL.

TEST RESULTS

(As per PFA Act 1995 for Refined Soyabean Oil)

BRAND NAME:

SR. NO.	**TEST**	**OBSERVED VALUE**	**SPECIFIC REQUIREMENT**	**CONFORMITY**	**PROTOCOL**
1.	Description	The given sample is clear, free from rancidity, suspended matter or other foreign matter and separated water	The sample shall be clear, free from rancidity, suspended matter or other foreign matter and separated water.		
2.	Test for added colouring matter		Negative		
3.	Test for mineral oil		Negative		
4.	Test for argemone oil		Negative		
5.	Refractive index at 40℃ or BR Reading at 40℃		1.4649-1.4710 or 58.5-68.0		
6.	Saponification value		189-195		
7.	Iodine Value (Wijs)		120-141		
8.	Unsaponifiable matter, % by mass		1.5 Max.		
9.	Acid Value		2.5 Max.		
10.	Phosphorus, % by mass		0.02 Max.		

Certificate: The given sample conforms to PFA Act 1995 for Refined Soyabean oil with respect to above tests only.

Financial Bid

पौषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत आपूर्ति हेतू निविदा फार्म

निविदक का नाम व पता ....

दरें प्रति क्विंटल/लीटर

क्रम सं0	वस्तु का नाम	आपूर्ति का स्त्रोत जहां से बिल बनाये जायेंगे एवं आपूर्ति भेजी जायेगी	दर प्रत्येक जिला मुख्यालय के गोदामों तक भाडे सहित	केन्द्रीय बिक्री कर यदि हो	हिमाचल बिक्री कर @ 4%	हिमाचल की मारकीट फीस @ 1%	अन्य सभी प्रचलित करों सहित कुल दर
1	साबुत चना काला						
2	मूंगदाल छिलका						
3	सोया रिफाईन्ड आयल 1 लीटर पाउच पैक						

घोषणाः

मैं .... सपुत्र श्री .... फर्म/ कम्पनी का .... के रूप में कार्य कर रहा हूँ जिसकी मोहर नीचे लगाई गई है वह स्वयं या उसके द्वारा घोषणा पत्र को हस्ताक्षर करने का अधिकार दिया गया है 1 उसके द्वारा यह घोषणा और प्रमाणित करता हूँ कि फर्म/कम्पनी की ओर से हम इस निविदा के लिए रखी गई सभी शर्तो और नियमों का पालन करने हेतू सहमत हुें 1

नाम ....

पद ....

हस्ताक्षर ....

.

फर्म एवं कम्पनी की मोहर